बीड़ी मजदूरों के लिये कल्याणाकारी उपाय

1772. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बीड़ी मजदूरों के लिये हाल ही में कार्यान्वित की गई कल्याण योजनाओं के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) बीड़ी मजदूरों को समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल करने के लिये बीड़ी मजदूरों के संघों, श्रम आयुक्त, कल्याण आयुक्त और श्रम निरीक्षकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) बीड़ी कर्मकारों तथा उनके परिवारों को आवास, स्वास्थ्य, शैक्षिक, मनोरंजन संबंधी तथा परिवार कल्याण जैसी सुविधायें प्रदान करने के लिये "बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि" के अधीन विभिन्न प्रोटोटाईप योजनायें तैयार की गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आवास योजना के अधीन 13066 मकानों की मंजूरी दी गई है और 418.28 लाख रुपये की धनराशि की मंजूरी दी दी गई है तथा अपना मकान स्वयं बनाओ योजना (बी०वाई०ओ०एच० एस०) के अधीन अभी तक 2092 मकानों की मंजूरी दी गई है। चिकित्सा सुविधाओं के अन्तर्गत, 154 औषधालय, 1 चैस्ट क्लिनिक और 22 अस्पताल पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं। बीड़ी कर्मकारों के उपचार के लिये दो और अस्पतालों की मंजूरी दी गई है। पिछले तीन वर्षों 88–89, 89–90 तथा 90–91 के दौरान क्रमशः 394 लाख रुपये, 473 लाख रुपये और 475 लाख रुपये की कुल धनराशि बीड़ी कर्मकारों की चिकित्सीय देख-रेख पर खर्च की गई है। वर्ष 1988–89, 89–90 और 90–91 के दौरान क्रमशः 2790, 8109 और 8942 बीड़ी कर्मकारों को प्रसूति प्रसुविधा योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये क्रमशः 6,97,500 रु0, 20, 21,250 रु0 तथा 22,35,500 रु0 की धन राशि खर्च की गई है। 87–88, 88–89 और 89–90 के दौरान क्रमशः 28160, 34423 और 45331 स्कूल जाने वाले बालकों को वजीफे के रूप में क्रमशः 89.811 लाख रुपये, 114.67 लाख रुपये और 147.92 लाख रु0 की धनराशि की मंजूरी दी गई है।

(ख) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि, अधिनियम, 1976 के अधीन केन्द्रीय सलाहकार समिति तथा राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। केन्द्रीय सलाहकार समिति त्रिपक्षीय स्वरूप की है जिसमें सरकार, नियोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह राज्य सलाहकार समिति के कार्य का समवन्य करती है और अधिनियम को लागू करने से उत्पन्न होने वाली किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार को परामर्श देती है। राज्य सलाहकार समिति जो, कि त्रिपक्षीय प्रकार की है, में भी नियोजकों, कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा राज्य सरकारों के अधिकारी तथा कल्याण आयुक्त शामिल होता है। इस उद्देश्य के लिये राज्य सलाहकार समिति के तंत्र को उपयुक्त पाया गया है।

बीड़ी मजदूरों के लिये सहकारी समितियां

1773. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : क्या श्रम मंत्री 29 जुलाई, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 829 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बिड़ी मजदूरों के लिये सहकारी समितियां बनाये जाने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और